

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Arbitration Case No.- 153/2021

*Md. Samsad Alam @ Shamshad Ali & Ors. ....Petitioner.**Versus**The State of Bihar & Ors.....Opposites.*

Sl No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	<b>27.11.24</b>	<p style="text-align: center;"><b>आदेश</b></p> <p>प्रस्तुत वाद कठिहार जिले के मौजा—डहेरिया अवस्थित भूमि जिसे विभाग द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0—131A (नरेनपुर—पूर्णिया) निर्माण हेतु अधिग्रहित भूमि के निर्धारित मूल्य से कम मुआवजा राशि दिये जाने के विरुद्ध राष्ट्रीय राजपथ अधिनियम, 1956 की धारा 3G(5) के अंतर्गत दायर किया गया है।</p> <p>उभय पक्षों को सुना। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि राष्ट्रीय राज मार्ग सं0—131 A (नरेनपुर—पूर्णिया) फोरलेन निर्माण/चौड़ीकरण के तहत आवेदक के मौजा—डहेरिया, खाता—08, खेसरा—1941, वार्ड नं0—45, रकवा—1.12.013 एकड़ भूमि को अधिग्रहित किया गया है। जिला भू—अर्जन कार्यालय, कठिहार के भूमि अधिग्रहण वाद सं0—31 / 2016—17 में प्रश्नगत भूमि का मुआवजा अवार्ड सं0—93 द्वारा निर्धारित करते हुए उक्त मुआवजा प्राप्त करने हेतु आवेदक को सूचना निर्गत किया गया है। अपीलार्थी को मुआवजे के रूप में अधिग्रहित भूमि का कुल रु0—1,19,07,978 /—(एक करोड़ उनीस लाख सात हजार नौ सौ अठहतर रु0 मात्र) निर्धारित किया गया है। जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, कठिहार द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि काफी कम है।</p> <p>आवेदक द्वारा पंचाट के निर्गत होने के उपरांत सक्षम प्राधिकार जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, कठिहार के समक्ष सभी आवश्यक कागजात के साथ मुआवजे के विरोध में आपत्ति दर्ज किया गया तथा आवेदन समर्पित किया गया। परंतु सक्षम प्राधिकार द्वारा इसपर विचार नहीं करने पर इनके द्वारा आपत्ति के साथ मुआवजा की राशि प्राप्त किया गया। आवेदक को प्रश्नगत भूमि दिनांक—09.06.1972 को उनके पिता भोख मोईजुद्दीन से हिब्बानामा द्वारा प्राप्त हुआ है जिसकी सच्ची प्रतिलिपि संलग्न किया गया है। साथ ही अन्य अपीलार्थी सं0 04 को प्र नगत भूमि विभिन्न दो अभिलेख दिनांक—16.11.1994 मो0 भाफीक आलम एवं दिनांक—15.11.95 मो0 हफीजुद्दीन द्वारा प्राप्त हैं। इन्होंने बिहार सरकार का 2019—20 तक लगान भी अदा किया है। इससे स्पष्ट है कि आवेदक का प्रश्नगत जमीन कठिहार नगर निगम क्षेत्र के वार्ड सं0—45 के आवासीय</p>	

		<p>मोहल्ला मोहल्ला—परतैली टोला में अवस्थित है जो आवासीय / व्यवसायिक क्रम 1:</p> <p><b>लगातार 27.11.24</b></p> <p>क्षेत्र में आता है। उक्त प्र नगत भूमि N.H. Act 1956 के 3(A) के प्रकाशन के वक्त आवासीय श्रेणी में रखा गया था। परंतु CALA (Competent Authority of Land Acquisition) के द्वारा जमीन के किस्म का गलत वर्गीकरण करते हुए कृषि भूमि कर दिया गया। जमीन के किस्म के वर्गीकरण हेतु निर्मित छः सदस्यीय समिति द्वारा न तो जमीन का स्थलीय जाँच किया गया और न ही CALA को अपना प्रतिवेदन समर्पित किया गया। इस प्रकार छः सदस्यीय समिति नाकाम रही। जिला समाहर्ता, कटिहार द्वारा RFCLARR Act-2013 के सेक्षन-26 के मुताबिक अधिग्रहित भूमि के मूल्यों का निर्धारण करने में पूरी तरह असफल रहे। अधिसूचना के पूर्व उक्त अधिग्रहित भूमि भारती देवी के द्वारा 2,80,000/- रुपये प्रति डिसमील की दर से केवला सं0-5892 दिनांक-12.04.2016 द्वारा खरीदगी किया गया। इस भूमि के बगल में अधिग्रहित भूमि परमानंद मंडल के द्वारा केवला सं0-11522 दिनांक-10.08.2017 द्वारा 5,40,000/- रुपये प्रति डिसमिल की दर से मो0 नसीम अख्तर को बेचा गया।</p> <p>इनका आगे कथन है कि सक्षम प्राधिकार द्वारा प्रश्नगत जमीन के अधिग्रहण हेतु निर्धारित मुआवजा अत्यंत ही कम है जो RFCLARR Act-2013 के अनुसार पोषणीय नहीं है। अधिग्रहित भूमि कटिहार नगर निगम क्षेत्र के वार्ड सं0-45 में पड़नेवाले व्यवसायिक इलाके में स्थित है। इसके बगल में कई व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं दुकान हैं। तत्समय के MVR के मुताबिक प्रश्नगत जमीन (व्यवसायिक / प्रधान सड़क) का वास्तविक मूल्य लगभग 8,00,000/- प्रति डिसमिल एवं पक्की सड़क / ढलाई सड़क से जुड़े भूमि का मूल्य 6,00,000/- रुपये निर्धारित है। उपरोक्त वर्णित स्थिति में आवेदक द्वारा उक्त अधिग्रहित भूमि के मुआवजे के रूप में 54,99,49,230/- (चौबन करोड़ निन्यानबे लाख उनचास हजार दो सौ तीस) रुपये के निर्धारण हेतु अनुरोध किया है।</p> <p>विपक्षी सं0-05, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार द्वारा के माध्यम से समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि वादी द्वारा वाद दायर किया गया कि इनकी अधिग्रहित की गई भूमि का वर्गीकरण एवं सही मूल्यांकन नहीं किया गया है। प्रस्तुत वाद विधि एवं तथ्यों के आधार पर पोषणीय नहीं है। राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिग्रहित भूमि के मुआवजा सूचना प्रकाश के समय निर्धारित बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर दिया गया है, जो सही है। इस प्रकार इनके वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>विपक्षी सं0-07 (Project Director, NHAI) का कथन है कि प्रस्तुत वाद तथ्यों एवं पक्षकार के दोष ग्रसित होने के कारण पोषणीय नहीं है। आवेदक द्वारा प्रश्नगत भूमि को “कृषि” से “गैर कृषि” प्रयोजन हेतु सक्षम प्राधिकार से सम्परिवर्तन (Conversion) नहीं कराया गया है। फिर भी</p>
--	--	---

		<p>इस भूमि को आवासीय एवं व्यवसायिक श्रेणी का दावा किया जाना गलत क्रम 1:</p> <p><b>लगातार 27.11.24</b></p> <p>एवं अवैधानिक है। दिनांक—22.07.2020 को जिला मूल्यांकन समिति जिसके अध्यक्ष जिला निबंधक—सह—जिला समाहर्ता, कटिहार के द्वारा RFCLARR Act-2013 की धारा—2, 3 एवं 24 के अनुसार संबंधित मौजा—डहेरिया के विगत तीन वर्षों के क्रय—विक्रय विलेख के समीक्षोपरांत अर्जित भूमि को दो—फसला श्रेणी में वर्गीकृत करते हुए दर का निर्धारण किया गया है जो सही है। आवेदक द्वारा इससे पूर्व भू—अर्जन की अधिसूचना एवं अधिघोषणा के प्रकाशन के बाद समय पर परियोजना निदेशक NHAI के समक्ष आपत्ति दर्ज नहीं किया गया। सक्षम प्राधिकार (जिला भू—अर्जन पदाधिकारी, कटिहार) द्वारा आवेदक के भूमि के प्रकृति का सही प्रकार से नियमानुकूल वर्गीकृत कर मुआवजा का निर्धारण किया गया है। आवेदक द्वारा दावा किये गये मुआवजे की राशि काल्पनिक एवं मनगढ़त है। इस प्रकार इनकी ओर से प्रस्तुत वाद को खारिज होने योग्य बताया गया है।</p> <p>सहायक सरकारी अधिवक्ता द्वारा भू—अर्जन पदाधिकारी, कटिहार द्वारा समर्पित मंतव्य का समर्थन करते हुए अंकित किया गया कि सभी परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित भूमि का वर्तमान स्वरूप अर्थात् किस्म/प्रकार का वर्गीकरण तथा भूमि का उचित मुआवजा का निर्धारण करने हेतु समाहर्ता, कटिहार की अध्यक्षता में गठित छ: सदस्यीय समिति के द्वारा स्थल निरीक्षण के पश्चात किया गया है। उक्त प्रश्नगत भूमि के लिए निर्धारित मुआवजा की राशि नियमानुकूल है। इस प्रकार इनके द्वारा वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख में संलग्न सुसंगत सभी कागजातों/दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत यह स्पष्ट है कि RFCLARR ACT-2013 की धारा—23 के अनुसार जिला स्तरीय छ: सदस्यीय समिति द्वारा मौजा डहेरिया के पेरिफेरल क्षेत्र के स्थलीय जाँचोपरांत कृषि भूमि की श्रेणी के रूप में प्रवृत्त भूमि को कृषि (दो फसला) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तत्समय के MVR के अनुसार मौजा डहेरिया के कृषि क्षेत्र का दर प्रति डिसमिल 3,00,000/-रुपया निर्धारित है। केन्द्रीय मूल्यांकन समिति द्वारा बिहार स्टाम्प (लिखत मूल्यांकन निवारण) नियमावली, 1995 के नियम—6 का उपनियम (7) (क) के अंतर्गत उक्त वर्णित क्षेत्रों के लिए कृषि श्रेणी के लिए MVR में पुनरीक्षण की अनुमति दी गई। उक्त अनुमति के आलोक में दिनांक 22.07.2020 को संपन्न जिला मूल्यांकन समिति, कटिहार की बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग 131A (नरेनपुर से पूर्णिया खंड) परियोजना अंतर्गत नगर निगम, कटिहार के मौजा—डहेरिया में विभिन्न मोहल्ला/टोला के शहरी क्षेत्र (नगर निगम क्षेत्र के वार्ड सं0—45) में पड़नेवाले कृषि श्रेणी की भूमि का दर RFCLARR Act-2013 के Sec-26 में वर्णित प्रावधान के आलोक में प्रश्नगत मौजे की कृषि श्रेणी की भूमि के विक्रय पत्र के आधार पर प्रति डिसमिल 43,000/-रु० निर्धारित किया गया है, जिसके आधार</p>
--	--	--

लगातार  
**27.11.24**

पर सक्षम प्रधिकार जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार द्वारा मुआवजा का  
क्रम 1:  
निर्धारण कर भुगतान किया गया है, जो नियमानुकूल है। साथ ही उक्त भूमि का वर्तमान स्वरूप लगभग वैसा ही है तथा यह भूमि कृषि के रूप में ही उपयोग में लाया जा रहा है। आवेदक के द्वारा प्रश्नगत भूमि के दर को बढ़ाने के उद्देश्य से 2015 एवं 2017 के निबंधित विक्रय पत्र का हवाला दिया गया है जो RFCLARR Act-2013 के Sec-26 के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित स्थिति में इस मामले में समाहर्ता, कटिहार की अध्यक्षता में गठित छ: सदस्यीय समिति द्वारा स्थल जाँच में भूमि की प्रकृति धनहर-2 निर्धारित करते हुए मुआवजे का भुगतान आवेदक को किया जा चुका है। जिसे पुनरीक्षित करने का कोई आधार एवं औचित्य नहीं है। इसी के साथ आवेदक के दावे को खारिज करते हुए वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित पदाधिकारी को भेजें।  
लेखापित एवं शुद्धित।

आयुक्त,  
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त,  
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।